

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शिव, जिला-बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : श्री यक्ष चौधरी (आई.ए.एस)

राजस्व आवेदन संख्या : 98/2024

क्रमांक/आवेदन/2025/ 4383

दिनांक : 25.3.25

प्रार्थीगण

चुनाराम पुत्र आईदानराम,
जाति जाट, निवासी गोरसीयोका तला,
तहसील शिव, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण

बगताराम पुत्र आईदानराम,
बगौरा (27)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

--: आदेश :-

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नेखमबंदी आवेदन पर प्रार्थीगण अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। भू-अभिलेख निरीक्षक कानासर को प्रार्थीगण की मौजा गोरसीयोका तला तहसील शिव में अवस्थित खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 1233/889 व 1234/489 रकबा क्रमश 1.4811 हैक्टेयर व 1.0360 हैक्टेयर विवादित भूमि को वर्तमान सर्वेक्षण मानचित्रों के आधार पर एवं लैंड रेकार्ड्स रूल्स, 1957 के नियम 34 (3) की प्रक्रिया अपनाते हुए भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित कर पालना प्रतिवेदन 15 दिवस में भिजवाने हेतु 500/- रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। निरीक्षक भू-अभिलेख कानासर बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें।

क्रमांक :- आवेदन/2025/ 4384-88

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ -

1. तहसीलदार शिव को सूचनार्थ।
2. भू-अभिलेख निरीक्षक कानासर को पालनार्थ।
3. हल्का पटवारी काश्मीर को भेजकर लेख है कि भू-अभिलेख निरीक्षक कानासर द्वारा निर्धारित तिथि को मय रिकार्ड मौके पर उपस्थित होकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. प्रार्थी चुनाराम पुत्र आईदानराम को सूचनार्थ।
5. विप्रार्थीगण बगताराम पुत्र आईदानराम बगौरा (27) को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी
शिव, जिला-बाड़मेर

दिनांक :- 25.3.25

उपखण्ड अधिकारी
शिव, जिला-बाड़मेर

